पीतांबीत ...

2023/246

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
136	179/2023	19/9/2023	ANT 21/12/23	21/11/2023

अनवान

श्री भगवती देवी शर्मा w/o अमृत लाल श्री राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार साहब

निवासी जलीन्द्री निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री स्वयं (ALL-0001) श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

भगवती देवी शर्मा w/o अमृतलाल बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार यादव

बाबत मुकदमा 136 नम्बर 179 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/9/2023	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी / जवाब दिनांक 5/10/2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उप खण्ड अधिकारी बिजौलिया बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	भगवती
5/10/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी भगवती उपस्थित। तहसीलदार बिजौलिया से जाँच रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते जाँच रिपोर्ट दिनांक 02/11/23 को पेश हो।	
2/11/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रत्रावली दिनांक 21/12/23 को वास्ते जाँच रिपोर्ट पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रत्रावली दिनांक..... ....को वास्ते पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
21/12/23	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार बिजौलिया से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे पूर्व में शामिल पत्रावली किया जा चुका है। तहसीलदार बिजौलिया की जाँच	राजेन्द्र ... भगवती

रिपोर्ट के आधार पर, निर्णय खुले न्यायालय में सुनवाया गया एवं निर्णय विस्तृत अलग से लिखवाया गया। पत्रावली खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 179/2023 दायर तारीख 19.09.2023

अनवान

भगवती देवी शर्मा पति अमृतलाल जी जाति शर्मा एवं बालकृष्ण उर्फ बालकिशन जी शर्मा निवासी जलीन्द्री तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान ....प्रार्थीयां

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बिजौलिया जिला भीलवाडा राजस्थान ....विपक्षी

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपस्थित :– पैरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 21/12/2023

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयां ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलिया की सरहद में वादी की खातेदारी कब्जेशुदा आराजियात 321 क्षेत्रफल 0.1052 हैक्टयेर जमीन होकर कुल किता 1 रकबा 0.1052 हैक्टेयर गेमु चाह भुमि स्थित हैं जो कि मंजु पुत्री बालकिशन अंकित हैं जबकि मेरे आधार सख्या 436773772847 में मेरा सही नाम भगवती देवी शर्मा अंकित है जो सही है। उक्त भुमि प्रार्थीया को विरासत से नामान्तरकरण के आधार पर प्राप्त हुयी हैं प्रार्थीया के पिता बालकिशन पिता देवीलाल जाति ब्राहमण के उनकी मृत्यु के बाद विरासत से हुये नामान्तरण ई नं 1820 12–1–2007 में गलत इन्द्राज से मंजु पुत्री बालकिशन अंकित हो गया तब से ही त्रुटि चली आ रही हैं प्रार्थी को दिनांक 1.08.2023 को जानकारी मिली तभी से ही वाद हेतुक प्रारम्भ है। राजस्व रेकार्ड में स्पष्टतः गलत भु प्रबन्धन में किए गए गलत इन्द्राजों की लिपिकिय गलती से मंजु पुत्री बालकिशन के नाम पर दर्ज कर दी गयी हैं जो कि गलत हैं त्रुटि सुधार कर भगवती पुत्री बालकिशन किया जाना शुद्धि योग्य है। प्रार्थीयां के समस्त वेधानिक दस्तावेंजो में प्रार्थीयां का नाम भगवती देवी शर्मा ही अंकित है। प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार मौजा ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलिया की सरहद में वादी की खातेदारी कब्जेशुदा आराजियात 321 क्षेत्रफल 0.1052 हैक्टयेर जमीन होकर कुल किता 1 रकबा 0.1052 हैक्टेयर गेमु चाह भुमि स्थित में भुमि में लिपिकीय भुल को सुधार कर प्रार्थीया का नाम भगवती देवी शर्मा पुत्री बालकिशन दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड को सुधारने के आदेश विपक्षी को प्रदान किये जाने का निवेदन किया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना भेज करवायी गई।

प्रार्थीयां ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ मोजा ग्राम बिजौलियां कलां. की जमाबन्दी सम्वत 2075–2078, जमाबन्दी सम्वत 2063, स्वयं के आधार कार्ड एवं राशनकार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली हैं।

विपक्षी राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां ने उपस्थित होकर तहसीलदार बिजौलियां के पत्रांक/राजस्व/2023/1419 दिनांक 14.12.2023 से जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम बिजौलियां कलां की सलंग्न जमाबन्दी 2075–78 के खाता संख्या 470 ख0नं0 321 रकबा 0.1052 है0 किस्म गेमु0 चाह में 16 खातेदारान् संयुक्त हिस्से में दर्ज रेकार्ड हैं जिसमें क्रमांक 8 पर मन्जु पुत्री बालकिषन जाति ब्राह्मण सा0 देह अंकित है।

आवेदिका भगवती पुत्री बालकिशन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उक्त नाम मन्जु पुत्री बालकिशन वक्त विरासत नामान्तरकरण सहवन से दर्ज होना अंकित किया हैं । जबकि आवेदिका का सही नाम भगवती पुत्री बालकिशन होना जाहिर किया है।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

नामा0 सं0 1820 दिनांक 12.01.2007 से आवेदिका के पिता बालकिशन आत्मज देवीलाल की विरासत खोली गई । जिसमें आवेदिका का नाम भगवती के स्थान पर मन्जु अंकित हो गया है। जिसका जमाबन्दी 2063-66 के खाता संख्या 18 पर नोट अंकित किया गया तथा आवर्ती जमाबन्दी संवत् 2067-70 के खाता संख्या 151 में अमल हुआ। नामा0 संख्या 1820 दिनांक 12.01.2007 एवं जमाबन्दी संवत् 2063-66 व 2067-70 के अवलोकन से जाहिर है।

अन्य खातेदारी भूमि खसरा नं0 322/2, 323/2, 885/1, 886/2, 1613/303 किता 5 कुल रकबा 9.18 बीघा में भी नामा0 सं0 1820 दिनांक 12.01.2007 से आवेदिका के पिता की विरासत में आवेदिका का नाम सहवन से भगवती के स्थान पर मन्जू अंकित हुआ था । जिसका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 में श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद सुनवाई श्रीमान् के कार्यालय आदेश क्रमांक/राजस्व/2018/2-3 दिनांक 01.01.2019 से मन्जू पिता बालकिशन के स्थान पर भगवती देवी पिता बालकिशन ब्राह्मण का नाम राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित किये जाने का आदेश जारी हुआ था। आदेश की पालना में उक्त आराजीयात् किता 5 रकबा 9.18 बीघा में मन्जू पिता बालकिशन के स्थान पर भगवती देवी पिता बालकिशन दर्ज किया गया। आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक एवं अन्य खातेदारी भूमियो की नकल जमाबन्दी में भगवती देवी अंकित है। अतः मन्जू पिता बालकिशन के स्थान पर भगवती देवी पिता बालकिशन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

बहस प्रार्थी व पैरोकार सरकार की सुनी गई हमने पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस के दौरान प्रार्थीयां द्वारा ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलिया की सरहद में वादी की खातेदारी कब्जेशुदा आराजियात 321 क्षेत्रफल 0.1052 हैक्टयेर जमीन होकर कुल किता 1 रकबा 0.1052 हैक्टेयर गेमु चाह भुमि स्थित में भुमि में लिपिकीय भुल को सुधार कर प्रार्थीया का नाम भगवती देवी शर्मा पुत्री बालकिशन दर्ज करवाना चाहा है। तथा तहसीलदार बिजौलियां ने भी उक्त भूमि में प्रार्थीयां मन्जू पिता बालकिशन के स्थान पर भगवती देवी पिता बालकिशन ब्राह्मण का नाम राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित किये जाने उचित बताया हैं।

अतः प्रार्थीयां की चालु जमाबन्दी में ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलिया की सरहद में वादी की खातेदारी कब्जेशुदा आराजियात 321 क्षेत्रफल 0.1052 हैक्टयेर जमीन होकर कुल किता 1 रकबा 0.1052 हैक्टेयर गेमु चाह भुमि में प्रार्थीया मन्जू पिता बालकिशन के स्थान पर भगवती देवी पिता बालकिशन ब्राह्मण का नाम राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित किया जाना उचित हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** स्वीकार किया जाता है।

आदेश आज दिनांक २१/१२/2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)